# संशोधित स्मृति पत्र

1- संस्था का नाम : इस संस्था का नाम श्री खादी विकास संस्थान होगा।

2- पंजीकृत कार्यालय : संस्था का पंजीकृत कार्यालय, मौ0 रामनगर अशरफ जकरिया इण्टर कालेज के सामने, नूरपुर, बिजनौर।
उ० प्र० होगा [illegible]

3- कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश कार्यक्षेत्र होगा।

4- उददेश्य

1. समाज के पिछड़े हुए और उपेक्षित वर्ग के लोगो को शैक्षणिक सामाजिक विकास हेतु प्रोत्साहित करना।
2. असहाय बच्चों के शैक्षणिक भरण पोषण तथा उन्हे योग्य बनाने हेतु प्रयास करना।
3. पिछड़े हुए युवाजनो के लिए नि:शुल्क आरोग्य मन्दिर और बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकालय, वाचनालय एंव मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना करना।
4. निराश्रित महिलाओं और बच्चों के लिए नारी सुलभ उद्योगों का प्रशिक्षण एंव बाल-विकास केन्द्रों की स्थापना करना।
5. जाति धर्म और भाशा के आधार पर उतपन्न द्वेष वैमनस्य की भावना को दूर कर राष्ट्रीय एकता की भावना को दृढ करना।
6. ग्रामोदय, सर्वोदय पुस्तकों, पत्रिका आदि निशुल्क संचालन करना एंव प्रचार करना।
7. देश एंव प्रदेश का समउददेश्यों वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर उददेश्यों की पूर्ति करना।
8. सामूहिक कार्यो द्वारा सहयोगी भावनाओं का विकास करना, श्रमदान, ग्रामों की सफाई जैसे कार्य सामूहिक रूप से कराना तथा समाज कल्याण आदि गाँधीवादी दृष्टिकोण का प्रचार व प्रसार कर उसमे अहिंसा, रचनात्मक कार्य तथा ग्राम निर्माण की प्रवृत्ति पैदा करना।
9. बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने हेतु युवकों को रचनात्मक कार्यक्रमों की ओर आकृषित करना।
10. अपारम्परिक उर्जा स्रोत, गोबर गैस, सौर उर्जा तथा पवन उर्जा पर आधारित कार्यक्रमों का प्रदर्शन एव विकास करना।
11. समाज के निर्बल एंव बेरोजगार लोगो के उत्थान हेतु उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रमों सफल बनाने का प्रयास करना जिसमे खादी तथा ग्रामोद्योग का उत्पादन तथा बिक्री करना, इसके तहत होने वाले मार्जिन को संस्था के उददेश्यों की पूर्ति हेतु एंव चैरिटेबिल कार्यो मे खर्च करना।

12- कार्यकारिणी समिति : कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पते, पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार प्रथम वार्षिक बैठक तक के लिए कार्यभार सौंपा गया है:-

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद
07-05-2002

सत्यमेव जयते

संशोधित नियमावली

1- संस्था का नाम : इस संस्था का नाम श्री खादी विकास संस्थान होगा।

2- पंजीकृत कार्यालय : संस्था का पंजीकृत कार्यालय- मो0 रामनगर अशरफ जकरिया इण्टर कालेज के सामने नूरपुर, बिजनौर।
उ0प्र0 होगा जो आवश्यकतानुसार कहीं भी स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

3- कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश होगा।

4- वित्तीय वर्ष
संस्था का वित्तीय वर्ष: 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा

5- उददेश्य : संस्था के स्मृति पत्र मे अंकितानुसार ही होगें।

6- संस्था की सदस्यता : प्रत्येक स्त्री-पुरूष जो 18 वर्ष से अधिक आयु का हो, नैतिक आचरण वाला हो, दिवालिया ना हो, पागल न हो, संस्था का सदस्य हो सकेगा।

7- सदस्यों के वर्ग
अ. संस्थापक सदस्य- कोई भी व्यक्ति जो क्रमांक 6 के अनुसार संस्था का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो संस्था को एक मुश्त रूपये 2000/-0 या अधिक दान मे दे, ऐसे संस्था के संस्थापक सदस्य कहलायेगें।

ब. आजीवन सदस्य- कोई भी व्यक्ति जो क्रमांक 6 के अनुसार संस्था सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वह रुपये 1000/- या अधिक दान मे देकर संस्था की आजीवन सदस्यता हेतु आवेदन कर सकता है। जिसे वर्तमान संस्थापक एवं आजीवन सदस्यो के दो तिहाई बहुमत द्वारा अनुमोदन किये जाने पर संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जा सकता है।

स. साधारण सदस्य- कोई भी व्यक्ति जो क्रमांक-6 के अनुसार संस्था का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वह संस्था के रूपये 20.00 वार्षिक सदस्यता शुल्क के साथ एंव रूपये 5.00 सदस्यता शुल्क आवेदन पत्र कराने पर एक वर्तमान संस्थापक, आजीवन एंव साधारण सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा अनुमोदन होने पर संस्था का साधारण सदस्य बन सकता है।

8- आम सभा का गठन : संस्था के संस्थापक, आजीवन, साधारण सदस्यो का समूह ही आम सभा कहलायेगा।

9- आम सभा के कार्य
क. प्रत्येक तीन वर्ष बाद अपने सदस्यो मे से आम सभा कार्यकारिणी समिति के सदस्यो का चुनाव करेगी।
ख. वार्षिक आय एंव व्यय का हिसाब पास करना।
ग. संस्था की नीति निर्धारण करना।
घ. वार्षिक बजट स्वीकार करना।
ड. भ्रष्ट सदस्य को संस्था से निकालने का अधिकार आम सभा को होगा।

10- कार्यकारिणी समिति का गठन
क. प्रत्येक तीन वर्ष बाद आम सभा अपने सदस्यो मे से कार्यकारिणी समिति का चुनाव करेगा, जिनकी सदस्य संख्या कम से कम 9 और अधिक से अधिक 15 होगी।
ख. संस्था मे कम से कम दो सदस्य कामगार दो महिलायें सदस्य अवश्य होगें, कोई भी सदस्य पुनः भी चुना जा सकेगा।

अ. चन्दा, ऋण, अनुदान स्वरूप आर्थिक सहायता प्राप्त करना।
ब. किसी भूमि, भवन तथा चल अचल सम्पत्ति को अनुदान मे प्राप्त करना क्रय करना।
स. संस्था की भूमि पर भवनो की मरम्मत अथवा बिजली, पानी, फर्नीचर शौचालय आदि आवश्यक प्रायोगिक सुविधाओ से सुसज्जित करने का प्रयास करना।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद

निरन्तर....2

द. संस्था की भूमि भवन तथा चल अचल सम्पत्ति की नियमानुसार हस्तान्तरण कराना, किन्तु यह सहायक रजिस्ट्रार के समक्ष न्यायालय की अनुमति के बिना वैध नही होगा।

11- कार्यकारिणी समिति के कार्य

क. अपने सदस्यों मे से पदाधिकारियों का चुनाव करना।
ख. संस्था के संचालन एंव आम सभा के प्रस्ताव का पालन करना और योजना बनाना।
ग. बजट बनाना और उसको आम सभा से स्वीकृत करना।
घ. संस्था के क्षेत्र को घटाना और बढाना एंव आवश्यकतानुसार प्रधान कार्यालय का स्थानान्तरण करना।
च. कार्यकर्ताओं की नियुक्ति व मुक्ति तथा उप समितियो का गठन करना।
छ. ऋण अनुदान लेने व देने को स्वीकार करना तथा बैंक से लेन देन का अधिकार देना।
मन्त्री द्वारा प्रान्त हिसाब किताब व प्रगति रिपोर्ट स्वीकार करना।
ज. अन्य आवश्यक कार्य जो संस्था हित मे हो, करना।
एक हजार रूपये से अधिक व्यय की अनुमति , स्वीकृति देना एंव बिल पास करना।

12- संस्था के पदाधिकारी : 1. अध्यक्ष, 2- उपाध्यक्ष, 3- मन्त्री, 4- उपमन्त्री।

13- पदाधिकारियों के कर्तव्य : 1- अध्यक्ष:-

क. संस्था की कार्यकारिणी समिति व आम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना।
ख. संस्था के हितार्थ कोई भी कार्यकारिणी समिति व आम सभा से स्वीकृत हो, करवाना।
ग. संस्था की आम देखभाल करना।

2. उपाध्यक्ष:-
अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे अध्यक्ष के समस्त कार्य करना।

3. मन्त्री:-

क. संस्था की आवश्यकतानुसार आम सभा या कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाना, उसकी कार्यवाही लिखना तथा अगली बैठक मे उसे स्वीकार करना।
ख. संस्था के हिसाब-किताब सम्बन्धी समस्त कागजातों को तैयार करवाना, सुरक्षित रखना एंव संस्था द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा उसका आडिट करवना आडिट रिपोर्ट कार्यकारिणी समिति मे प्रस्तुत करना संस्था के बाहर जाने वाले कागजातों को प्रमाणित करना एंव ऋण सम्बन्धी प्रपत्रों तथा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
ग. संस्था के कार्य को चलाने हेतु कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत नियमों के अधीन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना, उनकी सेवा के नियम बनाना, उनके कार्यो की देखभाल करना उन पर निर्णय लेकर कार्यवाही करना, सेवा मुक्ति एंव वेतन वृद्धि आदेश करना।
घ. संस्था की पूंजी की कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत नियमों के अधीन किसी राष्ट्रीयकृत बैंकों मे रखना, निकालना, संस्था के समस्त बाउचरों को स्वीकार करना।
ड. संस्था के उददेश्यो की पूर्ति हेतु 1000 रूपये तक के व्यय की स्वीकृति प्रदान करना एंव व्यय करना।
च. संस्था के हितार्थ सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालयों उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड/ग्रामोद्योग आयोग, सस्थाओ व किसी व्यक्ति से सहायता अनुदान प्राप्त करने हेतु पत्र व्यवहार करना।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

निरन्तर.....3

छ. अन्य समस्त ऐसे कार्य जो संस्था के हितार्थ हों और संस्था के उददेश्यों तथा आम सभा कार्यकारिणी समिति के निर्णयों के विरुद्ध न हो करना।

4. उपमन्त्री-
मन्त्री के कार्य में सहायता/सहयोग करना एंव उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये कार्य करना।

14- बैठकें

क. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान आम सभा का वर्ष मे कम से कम एक बैठक होना आवश्यक है।

ख. वार्षिक आम सभा की बैठक वार्षिक वर्ष । अप्रैल से 31 मार्च की समाप्ति के तीन माह के अन्दर अवश्य बुलाई जायेगी।

ग. वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यकारिणी समिति की कम से कम चार बैठकें होना आवश्यक है।

15- कोरम : साधारण सभा का कोरम 3/4 तथा कार्यकारिणी समिति का कोरम 2/3 होना आवश्यक है, लेकिन स्थगित की गयी बैठक यदि उन्ही विषयों पर विचार करने हेतु पुनः बुलाई जाती है तो इसके लिए कोरम पूर्ण होने का पाबन्दी होगी।

16- बैठक की सूचना : आम सभा की बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व तथा कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व देनी होगी, विशेष परिस्थितियो मे बुलाई गयी बैठको के लिए 24 घण्टे पूर्व दी गयी सूचना पर्याप्त होगी।

17- सदस्यता से पृथकीकरण

1. सदस्य द्वारा त्याग पत्र दिये जाने पर।
2. नैतिक अपराध मे दण्डित होने पर।
3. मादक द्रव्यों के सेवन करने पर।
4. आचरण भ्रष्ट होने पर,
5. संस्था विरोधी आचरण करने पर।
6. मृत्यु होने पर।
7. सदस्यता शुल्क न देने पर।
8. कार्यकारिणी समिति का कोई सदस्य यदि लगातार तीन बैठको मे बिना किसी वैध कारण के अनुपस्थित रहता है तो उसकी कार्यकारिणी समिति की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
9. पागल होने पर।

18- रिक्त स्थान की पूर्ति : कार्यकारिणी सदस्य के रिक्त की पूर्ति शेष अवधि के लिए कार्यकारिणी समिति के सदस्यो मे से कर सकेगी।

19- नियमों मे परिवर्तन/संशोधन

क. संस्था के नियमों मे परिवर्तन एंव संशोधन हेतु संस्था की कार्यकारिणी समिति की बैठक मे पास होने के दस दिन बाद आम सभा की बैठक से पुष्टि करायी जायेगी तथा इसके एक माह बाद विशेष आम सभा की बैठक से भी पुष्टि कराना संशोधित प्रस्ताव निबन्धक सोसायटीज को मंत्री उनके नियमानुसार एक माह के अन्दर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर सकेगा।

ख. उददेश्यों के अन्तर्गत उपनियम बनाने का अधिकार कार्यकारिणी समिति को होगा, परन्तु उनकी भी उपरोक्तानुसार पुष्टि कराकर ही संशोधन हेतु कार्यवाही की जायेगी।

20- कानूनी कार्यवाही : संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही संस्था के मन्त्री के नाम से होगी।

: संस्था अपने कार्य की रिपोर्ट आडिट किया हुआ लेखा, बैलेन्सशीट आदि के साथ प्रतिवर्ष खादी ग्रामोद्योग आयोग को उस समय तक भेजेगा जब तक वह आयोग से आर्थिक सहायता प्राप्त करती है व जब तक आयोग की देयता बाकी हो।

संस्था सामान्य जनता उ0प्र0 खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी और

निरन्तर.....4

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

ग्रामोद्योग आयोग, गैर सरकारी संस्थानों/अभिकरणों, बैंक से चन्दा, दान, ऋण अनुदान एंव उपहार स्वरूप आर्थिक सहायता प्राप्त करेगा।

: संस्था अपनी अचल सम्पत्ति को खादी और ग्रामोद्योग आयोग उ0प्र0 खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड से ऋण लेने पर उनके पक्ष मे बन्धक रखेगा आवश्यकता पड़ने पर संस्था के सदस्य भी अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति बन्धक कर सकते हैं, ऋण के विपक्ष मे संस्था के सभी सदस्यो का दायित्व समान होगा।

4.

अ. जो व्यक्ति आदतन व पूरा खादीधारी न हो जिसका मिल सूत, मिल कपड़े या अप्रमाणित खादी के व्यापार से सम्बन्ध हो, वह संस्थो का पदाधिकारी या कार्यकारिणी समिति का सदस्य नही बन सकेगा और न ही वह संस्था का कार्यकर्ता ही नियुक्त किया जायेगा।

ब. संस्था अपने उपयोग मे कच्चे माल के तौर पर या व्यापार के लिए मिल सूत या मिल कपड़े जैसे सूती,ऊनी या रेशमी उपयोग मे नही लायेगा और न ही उसका व्यापार करेगी।

5 -

स. प्रमाण पत्र समिति द्वारा बताई बुनाई की दर तथा खादी के भाव नियत हैं। या जो भविष्य मे नियत किये जायेगें संस्था उनका पूर्णतया पालन करेगी। कार्यकारिणी समिति व आम सभा के सदस्य कोई ऐसा कार्य नही करेगें जिससे खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित खादी और ग्रामोद्योग के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।

6-

अ. संस्था अपनी सम्पत्ति के बारे में हाइपोथिकेशन डीड तथा अचल सम्पत्ति के बारे में मिटेबिल मोरगेज या इसी प्रकार के अन्य कोई दसतावेज जो बोर्ड /आश्रम की निधि की सुरक्षा के लिए आवश्यक माने गये हैं, निष्पादित कर ऋण प्राप्त करेंगी।

ब. संस्था पूंजीगत ऋण एंव कार्यशील पूंजी के मद में ब्याज अनुदान, आदि का प्रमाण पत्र के आधार पर राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण लेने के लिए पात्र होगी, आवश्यकता पड़ने पर बैंक के धन की सुरक्षा हेतु संस्था अपनी चल व अचल सम्पत्तियो को बैंक के पक्ष मे सम्यक बन्धक अथवा हाइपोथिकेट करेगी।

7-

: यदि किसी कारणवंश संस्था की गतिविधिया पूर्ण या आंशिक रूप से बन्द हो जाती है और आयोग अथवा बोर्ड को देय धनराशि शेष रह जाती है तो आयोग पहले संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्तियों पर अपना प्रथम भार रखेगा और संस्था किसी भी प्रकार अपनी चल अचल सम्पत्तियो को तब तक किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियो या किसी दूसरी ऐजेन्सी को हसतान्तरित या बेच नही सकती जब तक कि संस्था आयोग/बोर्ड की सभी देयताये पूर्णतया वापिस नही कर देती और उनको पूर्ण नही किया जाता ।

: यह कभी आयोग ने नोटिस मे ऐसी बाते आती है कि संस्था का कार्य सुचारू रूप से नही चल रहा है या इसका प्रबन्ध ठीक नही है तो आयोग/बोर्ड की संस्था के कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा व ऐसे कुप्रबन्धकीय मामलों का समाधान हेतु रजिस्टार के पास भेजने में आयोग सक्षम होगा व संस्था के ऐसे अधिकारो को हटाने के लिए कहेगा जिनके रहने से संस्था के हितो को नुकसान पहुँचता हो।

: संस्था द्वारा आयोग से ऋण व अनुदान के रूप मे प्राप्त आर्थिक सहायता संस्था द्वारा केवल उसी उददेश्य के लिए उपयोग मे लायी जायेगी जिसके लिए वह स्वीकृत की गयी है। और इसे किसी भी हालत में किसी दूसरे उददेश्य के लिए हस्तान्तरित नही किया जा सकेगा।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

निरन्तर.....5

30- : किसी मामले मे यदि आयोग का कोई बकाया है तो संस्था अपनी चल व अचल सम्पत्ति को बेचने की तभी पात्र होगी जबह उसने आयोग/बोर्ड के सभी ऋणो को वापिस कर दिया हो और इसके लिए आयोग के अधिकृत अधिकारी या अधिकारियो से क्लीयरेंस प्रमाण पत्र ले लिया हो।

31- : खादी व ग्रामोद्योग के विकास के लिए ही प्रयोग की जायेगी संस्था के दूसरे उद्देश्यो के लिए नही।

32- : जब कभी संस्था के पंजीकृत कार्यालय के पते मे परिवर्तन होता है तो उसके एक सप्ताह के अन्दर उसकी सूचना खादी व ग्रामोद्योग आयोग/ उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड व सम्बन्धित कार्यालय को दी जायेगी।

33- यह कि यदि संस्था अपनी प्रबन्धकारिणी के सदस्यो मे कोई परिवर्तन करना चाहती है तो इसकी सूचना मंत्री आयोग को अग्रिम रूप में देगा, और आयोग के निर्णय के पश्चात ही इस प्रकार के परिवर्तन पर कार्यवाही होगी।

34- : यह कि संस्था खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा समय- 2 पर सुझाये गये नियमो व उप नियमो मे आवश्यक परिवर्तन करेगी।

35- संस्था को समस्त धन किसी मान्यता प्राप्त बैंक अथवा डाकघर मे संस्था के नाम से जमा होगा तथा अध्यक्ष मंत्री, एंव अधिकृत व्यक्तियो के संयुक्त हस्ताक्षरो से धन निकाला जा सकेगा।

36- : सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक, रसीद बुक, तथा ब्लॉक पंजिका आदि को जो आवश्यक हो रखो जायेगें।

37- ऑडिट : संस्था के वार्षिक आय व व्यय की जांच कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्त चार्टड एकाउंटेंड द्वारा करायी जायेगी।

38- संस्था का समापन

अ संस्था के समापन की स्थिति मे ऋण आदि के निपटाने के पश्चात जो सम्पत्ति शेष रहेगी वह केन्द्रीय प्रमाण पत्र समिति के अनुमोदन से वह समान उद्देश्य रखने वाली दूसरी संस्था को हस्तांतरित की जायेगी।

ब. सोसायटीज रजि0 एक्ट की धारा 13 व 14 के अनुसार होगा।

39- : संस्था खादी एंव ग्रामोद्योग आयोग से तथा अन्य अनुभागों से जो भी वित्तीय सहायता प्राप्त करेगी उसे अपने कारीगरों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

दि0 21-3-2002

हस्ताक्षर सभी सदस्यों के

1. इम्तियाज़ुद्दीन
2. [signature]
3. मो0 असलम
4. मो0 हारून
5. इकबाल
6. शाह जहां
7. فضل الرحمان
8. [signature]
9. [signature]

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद
01-05-2002